पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 46/2018

देवेन्द्र पुत्र हरदयालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1. सुल्तानसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
2. शिवकुमार
3. हरफूल
4. राजेन्द्र पुत्रगण फूसाराम
5. जिनकू देवी पत्नी फूसाराम
6. मानादेवी पत्नी हरदयालसिंह
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
7. केनरा बैंक शाखा फतेहपुर जरिये प्रबन्धक
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर जिला सीकर राज0
9. पटवारी हल्का, बीबीपुर छोटा, पटवार क्षेत्र बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

श्री दीपक निर्मल एड.– प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 30.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी खसरा नंबर 175 रकबा 3.2600 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 186 रकबा 3.0600 हैक्टयर खसरा नंबर 254 रकबा 2.5700 हैक्टयर, खसरा नंबर 297 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नंबर 298 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

खाता कुल 7 कुल रकबा 11.4700 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर के 3/7 हैक्टयर अर्थात 4.9157 हैक्टयर भूमि का रिकार्डेड एवं काबिज काश्तकार है।

अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नंबर 180 का रकबा 4.42 हैक्टयर ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी हमेशा से ही ग्राम बीबीपुर छोटा से खेत खसरा नंबर 182,181,175,179 में से जाने वाले कटानी रास्ता जो आगे ग्राम मरडाटू तक जाता है तथा खसरा नंबर 175 में से लाल रंग से दर्शित सुर्ख रेखा से खसरा नंबर 180 में से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 186 में अपने पूर्वजों के समय से आवागमन करता चला आ रहा है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को ट्रेक्टर आदि से काश्त करता है तथा अपने खेत की लाट बाट कर उपज वाहन से लाता ले जाता है।

उक्त सदैव से प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने से उक्त रास्ते को बन्द कर अप्रार्थी संख्या 1 सुल्तान अपनी भूमि खसरा नंबर 180 के पूर्वी सीमा के सहारे से नया रास्ता कायम करने की चेष्टा कर रहा है। जबकि उक्त अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 180 के पूर्वी सीमा पर उंचा टीला है जिससे आवागमन कतई संभव नहीं है तथा उक्त टीला की भूमि होने के कारण आवागमन तथा कृषि संसाधन आदि लाने ले जाने की असुविधा रहेगी मौके पर दर्शित रास्ता कदीम से प्रचलित है जिसमें कोई बाधा अवरोध नहीं है। उक्त प्रचलित रास्ता सुगम एवं सुविधाजनक है।

लाल रंग से दर्शित रास्ता न्यूनतम दूरी पर है तथा भौगोलिक दृष्टि से भी न्यायोचित एवं तर्क संगत है जिसके लिये प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 को भी कृषि संसाधनों क`ले जाने का फायदा होगा तथा इसके लिये प्रार्थी क्षतिपूर्ति करने को तत्पर है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाकर रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी को खसरा नंबर 186 में खेती बर्बाद होने की संभावना है। पटवारी हल्का से रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है।

उक्त कटाणी रास्ता 175 से 180 में होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 186 में जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में जाने वाले रास्ता पुरातन काल से है तथा भौगोलिक व न्यूनतम दूरी होने से सुसंगत है।

उक्त खेत खसरा नंबर 186 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 175 से 180 में जाने वाला रास्ता सबसे लघुत्तम व सुविधाजनक है।

वर्तमान में सामन्यतः कृषि कार्य ट्रेक्टर से किये जाते है व कृषि उपज की ढुलाई का कार्य भी उंटगाड़ी व ट्रेक्टर ट्रोली से किया जाता है। अतः प्रार्थी के उक्त रास्ते की चौड़ाई कम से कम 15 फुट की जानी सर्वथा उचित व आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थी व उसके पूर्वज इस रास्ते से होकर हमेशा से आवागमन करते रहे है और प्रार्थी का इस रास्ते बाबत हक अधिकार हासिल हो चुके है विकल्पतः प्रार्थी उक्त रास्ते में दी जाने वाली भूमि का वाजिब मुआवजा अदा करने को तत्पर है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी व अन्य खातेदारान के आवागमन में अवरोध उत्पन्न कर रहा है जिस बाबत प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त रास्ता बाड़, व मेड़बन्दी कर बंद करने की धमकी दी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नंबर 180 का खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 उक्त भूमि खसरा नंबर 175,186,254,297,298,304,32 के सहखातेदार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 9 व 10 भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 186 में आवागमन के लिये कृषि भूमि खसरा नंबर 175 से 180 में से जिसे नजरी नक्शे में गहरे लाल रंग से दर्शित कर 15 फुट चौड़े रास्ते को दर्शाया गया है उक्त दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में निर्धारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री राजकुमार बाटड़ एड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1537 दिनांक 29.06.2018 से प्राप्त हुई। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 15 फीट चौड़े रास्ते की अलांतिक आवश्कता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थी को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
1	180	4.472है.	बा	15 फीट	सुल्तान सिंह पुत्र गणपतराम सिंह जाति जाट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (ग) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता एवं अलांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 29.06.2018 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप किया जावेगा। जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि के बराबर होगी।
3. प्रार्थी नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

5. प्रार्थी को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 30.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश आज दिनांक 30.06.2018 को कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

रेनू मीणा
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)